BY-Akhilesh Kumar(GT Assistant professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU -B.com part - 3Rd Paper-vii – Taxation Theory and Practice Unit-1

करारोपण : अर्थ, सिद्धान्तों एवं वर्गीकरण (Taxation: Meaning, Canons and Classification)

Ques-एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त बताइये। अन्य द्वारा इनमें और कौन-से सिद्धान्त जोड़े गये हैं?

अथवा

करारोपण के विचार इसके विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

Ans-

करारोपण के सिद्धान्त (Canons of Taxation)

करारोपण के सिद्धान्तों से हमारा आशय उन विशेषताओं से है जो एक अच्छे कर में निहित होनी चाहिए, ये एक अच्छे कर के गुण हैं। इनका सम्बन्ध कर लगाने की नीति एवं संकलन से है। ये ही कर की दरों तथा राशियों का निर्देशन करते हैं।

एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nations' में करारोपण के चार सिद्धान्तों (परिनियमों) का प्रतिपादन किया। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

(1) समानता का सिद्धान्त (Canon of Equity)- अपने इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है, "प्रत्येक राज्य की जनता को सरकार के कार्य संचालन हेतु अपनी योग्यतानुसार अंशदान करना चाहिए, अर्थात् उस आय के अनुपात में जिसका उपभोग वे राज्य के संरक्षण में करते हैं।"

वाकर का विचार है कि एडम स्मिथ का समानता से अभिप्राय आनुपातिक कर प्रणाली से था, किन्तु सैलिगमैन के अनुसार एडम स्मिथ का समानता से अभिप्राय प्रगतिशील कर-प्रणाली (Progressive Taxation System) से था। फिण्डले शिराज के

अनुसार, "वित्तीय इतिहास में भिन्न-भिन्न समयों पर समता का अर्थ बदलता रहा है।" परन्तु अब इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 'कर देने की योग्यता का अर्थ प्रगतिशील-कर से है।' एडम स्मिथ ने बाद में स्वयं स्वीकार किया है, "यह अत्यधिक उचित है कि धनिकों को सार्वजनिक व्यय के हेतु केवल अपनी आयों के अनुपात में ही अंशदान नहीं करना चाहिए, वरन् उस अनुपात से कुछ अधिक करना चाहिए।"

(2) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)- इस सिद्धान्त के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए-मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की राशि करदाता को तथा अन्य प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए।" आगे स्मिथ के अनुसार, "कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो रकम अदा करनी है उसकी निश्चितता इतने महत्त्व की बात है कि समस्त देशों के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है कि काफी मात्रा की असमानता भी इतनी भयानक नहीं है जितनी कि बहुत थोड़ी मात्रा में अनिश्चितता।"

कर की निश्चितता करदाता और राज्य दोनों के लिए ही लाभप्रद होती है। इससे करदाता को यह ज्ञान होता है कि उसे कब और कितनी राशि कर के रूप में देनी है। अत: वह अपना व्यय उसी

के अनुसार समायोजित कर सकता है। राज्य को यह पता होता है उसे कब और कितनी आय प्राप्त होगी। अतः राज्य अपने बजट का अनुमान निश्चितता पूर्वक कर सकता है।

(3) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)- एडम स्मिथ के अनुसार, "प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसका भुगतान करना करदाता के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक हो।" दूसरे शब्दों में, कर के भुगतान का समय तथा कर के भुगतान की विधि करदाताओं की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसान से लगान की वसूली फसल काटने के समय, आयकर का वसूली वेतन मिलने के समय अथवा बिक्री कर की वसूली वस्तुओं की बिक्री के समय का जानी चाहिए।

(4) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy)- इस सिद्धान्त के अनुसार कर प्रणाली मितव्यियतापूर्ण होनी चाहिए अर्थात् कर वसूल करने में कम से कम व्यय होना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार, "प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों

की जेब से सरकारी खजाने में जानी वाली रकम के अतिरिक्त कम से कम राशि निकाली जाए।" प्रो० जे० के० मेहता के

अनुसार, "करारोपण एक प्रकार से उत्पादन कार्य है। अतएव उत्पादन कार्य में यथासम्भव मितव्ययिता बरती जानी चाहिए।" डॉ० डाल्टन के अनुसार, "सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसके अन्तर्गत कर वसूल करने की लागत संग्रहीत आय के अनुपात में न्यूनतम हो।"

इस दृष्टि से कर लगाते व संग्रह करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए |

(i) कर संग्रह करने की प्रशासनिक लागत कम से कम आए।

(ii) करारोपण का उद्योग व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iii) कर इतने भारी न हों कि कर वंचन को प्रोत्साहन मिले।

(iv) कर-पद्धति सरल होनी चाहिए।

करारोपण के अन्य सिद्धान्त-एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त चार सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित

(5) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बेस्टेबेल ने किया। उनके अनुसार कराधान को उत्पादक होना चाहिए। कर की उत्पादकता दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है–प्रथम, कर ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार को संचालन के लिए यथेष्ट मात्रा में धन दे सके तथा दूसरे, कर ऐसा होना चाहिए जो उत्पादन को हतोत्साहित न करे।

(6) लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)- कर-प्रणाली के लोचदार होने से आशय यह है कि करों से प्राप्त होने वाली आय को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया या सके। सरकार को अकाल, बाढ़, युद्ध या अन्य किसी संकट का सामना करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। यदि कर-प्रणाली लोचदार है तो कर दरों में थोड़ा हेर-फेर करके पर्याप्त धनराशि इकट्ठा की जा सकती है। आय कर एक लोचपूर्ण कर है, जबकि वस्तु कर, सम्पत्ति कर तथा मालगुजारी में लोच नहीं है।

(7) विविधता का सिद्धान्त (Canon of Diversity)- कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के कर हों, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक योगदान कर सके। इस दृष्टि से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का ठीक ढंग से विभाजन होना चाहिए और उचित वस्तुओं पर कर लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः कराधान

के भार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रूप से फैला दिया जाना चाहिए, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा करने से उत्पादकता तथा मितव्ययिता के प्रयासों को ठेस न पहुँचे। प्रो० आर्थर यंग के अनुसार, "यदि मुझसे एक अच्छी कर-पद्धति की व्याख्या करने को कहा जाए तो मैं कहूँगा कि अच्छी कर पद्धति वह है जो लोगों की अपरिमित संख्या पर बहुत हल्का दबाव डाले और भारी दबाव किसी पर भी नहीं।"

(8) सरलता का सिद्धान्त (Canon of Simplicity)- कर ऐसा होना चाहिए कि करदाता उसे आसानी से समझ सके। दूसरे शब्दों में, कर की प्रकृति, उसका उद्देश्य, भुगतान

का समय, कर-निर्धारण का तरीका और आधार आदि सभी ऐसे होने चाहिए कि प्रत्येक करदाता उसको आसानी से समझ सके तथा पालन कर सके।

(9) उपयुक्तता का सिद्धान्त (Canon of Expediency)- कर लगाने की सम्भावना तथा समयोचितता पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि करदाता पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। केवल वही कर लगाए जाने चाहिए जो उचित तथा वांछनीय हों। लोकतन्त्रीय देशों में यह सिद्धान्त बड़ा महत्त्वपूर्ण है|

(10) समन्वय का सिद्धान्त (Canon of Co-ordination)- कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि करदाता को एक ही वस्तु पर अनेक स्थानों पर तथा अनेक बार कर न चुकाना पड़े। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों, पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं की कर-नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाए और कर-वसूली अन्तिम उपभोक्ता-स्तर पर की जाए।